बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
दि्वतीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना-23, बिहार ✉ scps-bih@gov.in; ☎ 0612 2545033

पत्रांक-02/रा०बा०सं०स०(स्था०)05/2023- 365

प्रेषक,

रंजिता, भा0प्र0से0
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
बिहार।

पटना, दिनांक- 02.03.2026

विषय:- जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित बाल गृह/बालिका गृह/वृहद आश्रय गृह एवं विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में संविदा आधारित रिक्त पदों पर कर्मियों के नियोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

राज्य बाल संरक्षण समिति के 17वीं प्रशासी समूह तथा 15वीं कार्यकारिणी समिति की दिनांक- 04.12.2025 के बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित बाल गृह/बालिका गृह/वृहद आश्रय गृह एवं विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में संविदा आधारित रिक्त पदों पर कर्मियों के नियोजन हेतु नियोजन मार्गदर्शिका की स्वीकृति प्रदान की गई है।

नियोजन मार्गदर्शिका में वर्णित है कि बाल गृह/बालिका गृह/वृहद आश्रय गृह में संविदा आधारित पदों यथा अधीक्षक, परामर्शी, परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर, गृहपिता/गृहमाता, पारा मेडिकल स्टाफ, लेखापाल-सह-भण्डारपाल एवं विशेष इकाई में विशेष शिक्षक/फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स का नियोजन राज्य बाल संरक्षण समिति स्तर से एवं अन्य शेष पदों पर नियोजन जिला स्तर से किया जाएगा।

अत: उपरोक्त के आलोक में नियोजन मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर से नियोजन किये जाने वाले रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियोजन करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्न:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
27.02.26

निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

ज्ञापांक:- 365 पटना, दिनांक- 02.03.2026

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. लेखा शाखा, राज्य बाल संरक्षण समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.02.26

निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

बिहार सरकार
राज्य बाल संरक्षण समिति
समाज कल्याण विभाग

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित सभी बाल देख रेख संस्थानों यथा पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, बाल गृह (बालक/बालिका), वृहद आश्रय गृह अंतर्गत कार्यरत गृह इकाईयॉ, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के सभी संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका

---

1. पद–

(i) मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी गृहों में संविदा आधारित अस्थायी नियोजन हेतु निम्न **पद हैं**–

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक) (पर्यवेक्षण गृह, सुरक्षित स्थान, विशेष गृह, बालिका गृह, निशांत, बाल गृह, अपना घर एवं बेगुसराय को छोडकर)	01
2.	काउंसलर	01
3.	परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / केस वर्कर	01
4.	हाउस मदर / हाउस फादर	02
5.	पैरामेडिकल स्टाफ	01
6.	लेखापाल सह स्टोर कीपर (पर्यवेक्षण गृह, सुरक्षित स्थान, विशेष गृह, बालिका गृह, निशांत, बाल गृह, अपना घर एवं बेगुसराय को छोडकर)	01
7.	एजुकेटर	01
8.	कला एवं शिल्प सह संगीत शिक्षक	01
9.	पीटी इंस्ट्रक्टर सह योग ट्रेनर	01
10.	कुक	02
11.	हेल्पर सह नाइट वाचमैन	02
12.	हाउस कीपर	01
	विशेष इकाई (यथा प्रावधानित)	
1.	विशेष शिक्षक / फिजियोथेरेपिस्ट	1
2.	नर्स	1
1.	केयर टेकर	1
	कुल	**15+3**

विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में संविदा आधारित अस्थायी नियोजन हेतु निम्न पद हैः–

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1	समन्वयक	1
2	सामाजिक कार्यकर्ता	1
3	नर्स	1
4	डॉक्टर(अंशकालिक)	1
5	आया	6
6	चौकीदार	1
	कुल	11

2. उपर्युक्त में से निम्नलिखित पदों पर कर्मियों का नियोजन राज्य बाल संरक्षण समिति के स्तर से किया जायेगा–

बाल गृह (बालक) एवं बाल गृह (बालिका)		
क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक)	01
2.	काउंसलर	01
3.	परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / केस वर्कर	01
4.	हाउस मदर / हाउस फादर	02
5.	पैरामेडिकल स्टाफ	01
6.	लेखापाल सह स्टोर कीपर	01
	विशेष इकाई	
1	विशेष शिक्षक / फिजियोथेरेपिस्ट	1
2	नर्स	1
	कुल	7+2

3. अन्य सभी पदों पर जिला स्तर से नियोजन किया जायेगा।

4. सभी पदो पर नियोजन हेतु उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य प्रावधान निम्नवत होगें–

(i) मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता को ही मान्यता दी जायेगी।

(ii) उम्र सीमा –

न्यूनतम उम्र सीमा – इंटर स्तर तक के पदों के लिये न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा स्नातक एवं उच्च स्तरीय पदों के लिये न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी।

अधिकतम उम्र सीमा – संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा –

- अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष।
- अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष।
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

(समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग के मानकों के अनुरूप उपर्युक्त उम्र सीमा परिवर्तनशील होगी।)

- राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देख रेख संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मी जो विज्ञापित पद के विरूद्ध योग्यता रखते हैं, उन्हें आवेदन करने हेतु उक्त संस्थानों में उनके नियोजन के उपरांत किए गए कार्यावधि की समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। उम्र छूट का यह लाभ सिर्फ उसी पद पर नियोजन के विरूद्ध दिया जाएगा जिस पद पर पूर्व नियोजन के दौरान कार्य किया गया है। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

(iii)आरक्षण – नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना द्वारा समय समय पर निर्गत आरक्षण के अद्यतन प्रावधान (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होगें।

(iv) जिला स्तर से कर्मियों के नियोजन हेतु समिति – जिन कर्मियो का नियोजन जिला स्तर से किया जाना है उनके लिए निम्नरुपेण चयन समिति का गठन किया जाता है–

a. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई – अध्यक्ष
b. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग – सदस्य
c. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग – सदस्य
d. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित महिला सदस्य – सदस्य
e. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र – सदस्य

नोट– सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग दोनों पद पर एक ही पदाधिकारी कार्यरत है तो दूसरे सदस्य के स्थान पर सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग होंगे। यदि एक हीं पदाधिकारी तीनों पद पर पदस्थापित हैं तो वैसी स्थिति में जिला पदाधिकारी से किसी अन्य पदाधिकारी को नामित करायेंगे।

- जिला प्रबंधक का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो तो उनके स्थान पर संबंधित सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा सेन्टर मैनेजर, बुनियाद केन्द्र को नामित किया जाएगा।
- किसी भी जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित एक कोटि के बाल देख–रेख संस्थान

एक से अधिक संख्या में संचालित होने की स्थिति में उन सभी की नियोजन प्रक्रिया समेकित रूप से की जायेगी। स्पष्ट है कि वृहद आश्रय गृह में संचालित बाल गृहों के कुल कार्यरत इकाईयों में नियोजन एक साथ एवं बालिका गृह के कुल कार्यरत इकाईयों में नियोजन एक साथ समेकित रूप से किया जायेगा।

- अन्य जिलों से संबद्ध वृहद आश्रय गृह में स्थानान्तरित किये जा रहे बाल/बालिका गृह के इच्छुक कर्मी उस गृह के साथ वृहद आश्रय गृह में स्थानान्तरित होगें। तदोपरांत जो कर्मी स्थानान्तरण हेतु अपनी सहमति नही देंगे उनके पदों को रिक्त मानते हुए उस पद पर **DCPU/SCPS** द्वारा नियोजन की प्रक्रिया नियमानुसार की जायेगी। यहाँ यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि सभी स्थानान्तरित किये जा रहे कर्मियों का प्रशासनिक/अनुशासनिक प्राधिकार स्थानान्तरण के पश्चात नये वृहद आश्रय गृह वाले जिले के चयन समिति के पास स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगा। स्थानान्तरित किये जाने वाले सभी कर्मी भी नवनियोजित कर्मियों की भांति संविदा पर नियोजित अस्थायी कर्मी होगें। इनका मानदेय विभागीय अधिसूचना सख्या–573 दिनांक–07.03.2023 द्वारा जारी मिशन वात्सल्य योजना तथा समय–समय पर राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

5. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं नियोजन में अधिमानता–**

(I) उपर्युक्त कंडिका 1(i) में उल्लिखित पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं नियोजन में अधिमानता का विवरण निम्नवत होगा:–

S. No	Job Title	Essential Qualification	Experience
1	**Officer-in-Charge (Superintendent)**	Post Graduate Degree in Social Work/Sociology /Psychology/ Child Development /Human Rights Public Administration /Psychiatry/Law/Public Health from a recognized University & Diploma in Computer Application	1. At least 3 years of working experience in Child/Women related programme
2	**Counsellor**	Graduate in Social Work/Sociology/ Psychology/Counselling/Guidance and Counselling from a recognized University. Or PG Diploma in Counselling and Communication	At least 1 year of working experience in School/ institution.
3	**Case Worker/ Probation Officer/ <u>Child Welfare Officer</u>**	Graduate in Social Work/Sociology/LAW from a recognized University.	At least 2 years of working experience in the field of JJ Act, POCSO, Child Labour, Human

S. No	Job Title	Essential Qualification	Experience
			Trafficking, Drug Abuse, Legal Assistance, Child Marriage
4	**Store Keeper-cum-Accountant**	Graduate in Commerce/Mathematics/Statistics/ Economics degree from a recognized University.	At least 2 years of working experience in accounting work.
5	**House Mother**	10+2 or equivalent.	1. At least 2 years of working experience with children in any institution.
6	**Paramedical staff**	Intermediate with Certificate/Diploma course in Para Medical in Nursing Assistance/Medical Record/ Dressing/ANM from a Government/Indian Nursing Council recognized nursing institute.	1. At least 1 years of working experience in Clinic / Hospital / Institution.
7	**Educator (Part Time)**	10+2 with diploma in elementary education (D.El.ED) or B.Ed. from recognized University.	At least one year experience of teaching in a school or institution.
8	**Art & Craft cum Music Teacher (Part Time)**	10+2 with diploma/Degree in Art & Craft/Music from a recognized University.	At least one year experience in a school or institution.
9	**PT Instructor cum Yoga Trainer (Part Time)**	10+2 with diploma/Degree in Yoga/Sports/Athletics/ Physical education.	At least one year experience in a school or institution.
10	**Cook**	8th Pass	At least one year experience in a school or institution.
11	**Helper-cum-Night watchman**	8th Pass	
12	**Housekeeper**	8th Pass	

S. No	Job Title	Essential Qualification	Experience
		Special Unit	
13	**Physiotherapist**	Bachelor Degree in Physiotherapy from a Recognized institute.	At least 3 years' working experience as Physiotherapist.
14	**Special Educator**	Bachelor degree in Special Education or B.Ed in special education.	At least two years' experience in a school or institution.
15	**A.N.M. (Female)**	Intermediate with Certificate/Diploma course in Para Medical in Nursing assistance/Medical Record/ Dressing/ANM or B.Sc Nursing from a Government/Indian Nursing Council recognized nursing institute.	At least 1 years of working experience in Clinic / Hospital / Institution.
16	**Care Taker-cum-Vocational Instructor**	Matriculation With certificate course in Vocational Trade (Tailoring, Handicraft, Mobile repairing, basic computer skill like Data Entry etc.)	A minimum of 1 year experience working as a vocational trainer/instructor in a school/ Institution.

Eligibility Criteria for Appointment of Functionaries under Specialized Adoption Agencies (SAA)

Sl. No.	Job Title	Essential Qualification	Experience
1	**Manager/ Coordinator**	Graduate in Social Work/Sociology /Psychology/ Child Development /Human Rights Public Administration /Psychiatry/Law/Public Health from a recognized University & Diploma in Computer Application	At least 2 years of working experience in Child/Women related programme.

2	**Social Worker – cum- Early Childhood Educator**	Graduate in Social Work/ Psychology/Sociology/ Law	At least 1 years of working experience in Project like JJ Act, POCSO, Child Labour, Human Trafficking, Drug Abuse, Legal Assistance, Child Marriage, Primary Education.
3	**Nurse**	Intermediate with G.N.M. /Bachelor degree in Nursing from a Government/Indian Nursing Council recognized Nursing institution.	A minimum of 1 year experience in a hospital/health facility.
4	**Doctor (Part time)**	MBBS (Child Specialist)	On referral
5	**Ayah**	8th Pass	
6	**Chowkidar**	8th Pass	

(ii) स्नातक का तात्पर्य न्यूनतम त्रिवर्षीय स्नातक से एवं स्नात्कोतर का तात्पर्य न्यूनतम दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से है। स्नातक आधारित न्यूनतम योग्यता हेतु अभ्यर्थियों को योग्य तभी माना जायेगा जब उक्त विषय में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री मुख्य विषय के रूप में प्राप्त की गयी हो।

(iii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय ज्ञापांक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंतिम 06 माह का वेतन/परिश्रमिक/मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट/वेतन विवरण प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र हेतु यह अनिवार्य है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग/मान्यता प्राप्त बोर्ड से सम्बद्ध हो एवं प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापांक, दिनांक के साथ निर्गत हो।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधित दस्तावेज जिसके आधार पर नियोजन किया जाना है उसका सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करने वाले कार्यालय से कराया जा सकता है।

(v) नियोजन से पूर्व अथवा बाद में जब कभी भी ज्ञात हो, सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए अभ्यर्थी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी साथ ही प्रमाण–पत्र निर्गत करने में जारीकर्ता संस्था के किसी पदाधिकारी/कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(vi) नियोजन के बाद शैक्षणिक/अनुभव प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में मानदेय के रूप में दी गयी राशि की वसूली की जायेगी।

6. **परिवीक्षा अवधिः–** मानदेय आधारित उपरोक्त सभी संविदा आधारित पदों पर प्रारंभ में 01 वर्ष प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा।

7. **चयन प्रक्रियाः–**

I. पदवार निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत, उच्चतर डिग्री हेतु निर्धारित अंक तथा साक्षात्कार के लिये अंको के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित विषय विशेष में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

II. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आधारित चयन प्रकिया में प्रारंभिक मेधासूची 60 अंको की बनायी जायेगी जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक हेतु 50 प्रतिशत अंक तथा 10 (5+5) अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उसी विषय से अधिकतम 02 उच्चतर डिग्री हेतु दिए जायेंगे। उक्त प्रारंभिक मेधासूची से एक निश्चित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु 40 अंक निर्धारित किये जाते हैं। अंतिम मेधासूची शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के अंकों को जोडकर 100 अंको के आधार पर बनायी जायेगी। पारा मेडिकल, नर्स, एवं ए0एन0एम0 का प्रारंभिक मेधा सूची निर्धारित करने हेतु अंको की गणना नर्सिंग में डिप्लोमा/डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर की जायेगी।

III. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

IV. आवेदको से ऑनलाईन/ई–मेल से ही आवेदन प्राप्त किये जायेगें एवं सभी प्राप्त आवेदनों को पदवार एवं तिथिवार पंजी में संधारित करना अनिवार्य होगा।

V. एक से अधिक पदों के लिए पात्रता होने पर अलग–अलग आवेदन करना होगा।

VI. मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

VII. सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति से अनुमोदन प्राप्त कर मुख्य पदों पर नियुक्ति वाक इन इंटरव्यू के आधार पर करने संबंधी अधिकार राज्य बाल संरक्षण समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

8. **नियोजन की शर्ते :–**

- मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेगें और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जायेगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- मान्य वैधानिक कारणों से चयनित कर्मियों का नियोजन समाप्त करने का अधिकार चयन समिति के पास होगा।
- चयनित कर्मियों को संस्थान में नियमानुसार आवासन सुनिश्चित करना होगा।

9. **नियोजन की अवधि :–** मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होगें, जो योजनावधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले लागू हो, तक के लिए है। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजनावधि अथवा 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

- पदों के लिए अर्हता एवं मानदेय वहीं होगा जो मिशन वात्सल्य के अनुदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पद समाप्त किये जाने या योजना मद में आवंटन समाप्त किये जाने पर पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।
- इस मार्गदर्शिका के आधार पर राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत नियोजित कर्मी पूर्व से सामान पद पर राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नियोजित कर्मी के साथ एक कैडर

के माने जाएगे तथा इनका स्थानांतरण/पदस्थापन राज्य स्तर से निर्धारित किया जा सकेगा।

- राज्य बाल संरक्षण समिति से नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार सचिव समाज कल्याण–सह–अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला स्तर से नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी, होंगे एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

25.02.26

निदेशक समाज कल्याण–सह–
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।